रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—73

REGISTERED NO. D-(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No
Date
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 1979 (वैशाख 22, 1901)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1979 (VAISAKHA 22, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	351
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	571
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	25
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	421
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	1185
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1377
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	161
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3567
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	287
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाए	39
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाए जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1282
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	63

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	351
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	571
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	25
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	421
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1185
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1377
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	161
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3567
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	287
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	39
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1283
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	63

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1979

सं० 23-प्रेज/79.—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नारायण कोंडिबा जोधले, (स्वर्गीय)
अशस्त्र पुलिस कान्स्टेबल,
नांडेड जिला,
महाराष्ट्र ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

19 जुलाई, 1977 को कान्स्टेबल नारायण कोंडिबा जोधले को एक अपेक्षित उदण्ड अपराधी की तलाश करने के लिए अरधापुर से नांडेड के लिये नियुक्त किया गया। कान्स्टेबल जोधले अपेक्षित अपराधी की तलाश में नांडेड पहुंचे तथा नगर के इतवारा क्षेत्र में रास्ते के एक होटल में उसे देखा। अपराधी ने चाकू दिखा कर भाग जाने की कोशिश की । अपराधी की इस कार्रवाई से निर्भीक तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते ' ए कान्स्टेबल जोधले ने उसका पीछा किया तथा उसको पकड़ लिया । जब वे अपराधी को वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसने उनके पेट में दो बार छुरा घोंप दिया। कान्स्टेबल के शरीर से अधिक मात्रा में खून बहता छोड़कर, अपराधी वहां से बच भागने में सफल हो गया । गभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी कान्स्टेबल जोधले घटना और अपराधी के बच निकलने की सूचना देने के लिए तुरन्त निकट के थाने में गये । अस्पताल ले जाते समय रास्ते में चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

कान्स्टेबल नारायण कोंडिबा जोधले ने महान कर्त्तव्य परायणता तथा उच्च कोटि के साहस का परिचय दिया और अपराधी के साथ इस मुठभेड़ में अपने प्राणों की आहूति दे दी ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जुलाई, 1977 से दिया जायेगा ।

सं० 24-प्रेज/79—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राकेश प्रताप सिंह, (स्वर्गीय)
पुलिस उप-निरीक्षक,
लखनऊ जिला,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 जून, 1977 की सायं को थाना माल, जिला लखनऊ में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि उस रात को कुछ डाकू गांव करोरा में एक डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। जब यह सूचना प्राप्त हुई तो अधिकांश पुलिस कर्मचारियों को चुनाव कार्यों के लिए जिला मुख्यालय में बुलाया हुआ था । तथापि उप-निरीक्षक नगेन्द्र सिंह, स्टेशन अधिकारी ने भी जो उपलब्ध दल था, एकत्र किया और गांव की ओर चल दिये। उस पुलिस दल में उप-निरीक्षक श्री राकेश प्रताप सिंह भी शामिल थे । गांव करोरा पहुंचने पर पुलिस दल ने भुल्लन यादव के मकान को जहां डाकुओं के उपस्थित होने की आशंका थी घेर लिया तथा उनको आत्मसमर्पण के लिए चुनौती दी । डाकुओं ने पुलिस दल पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप मठभेड़ हुई । परिणामस्वरूप तीन डाकू मारे गये तथा शेष ने बच निकलने का अथक प्रयास किया । श्री राकेश प्रताप सिंह ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया तथा भागते हुए डाकुओं को रोकने के लिए कूद कर आगे गये । यद्यपि भागते हुए डाकुओं में से एक को घातक गोली लग चुकी थी फिर भी वह मरने से पहले श्री राकेश प्रताप सिंह पर गोली चलाने में सफल हो गया । गोली श्री राकेश प्रताप सिंह के दिल पर लगी तथा उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । चार डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया तथा दो बच कर भागने में सफल हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री राकेश प्रताप सिंह ने अनुकरणीय साहस, वीरता तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया और भागते हुए डाकुओं को पकड़ने के प्रयत्न में अपनी जान दे दी ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 जून, 1977 से दिया जाएगा ।

सं० 25-प्रेज/79.—राष्ट्रपति कलकत्ता पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अजीत कुमार डे,
कान्स्टेबल सं० 13580
थाना बलिया घाट,
कलकत्ता ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28 जुलाई, 1977 की रात्रि के लगभग 11.45 बजे जब कान्स्टेबल अजीत कुमार डे तथा उप-निरीक्षक बारमन, बलियाघाट थाना प्रभारी अधिकारी गश्ती ड्यूटी पर थे, तो उन्होंने एक सफेद एम्बेसडर कार को जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे, बलियाघाट मुख्य सड़क कलकत्ता पर नहर के पुलिस के पास रोका । दोनों पुलिस अधिकारी अपनी जीप से उतरे तथा कार में बैठे व्यक्तियों पर अपनी टार्च का प्रकाश डाला । श्री बारमन ने अचानक उनकी ओर की गई रिवाल्वर की गोली न चलने पर इसकी आवाज सुनी । उन्होंने अपने को बचाने के लिए एकदम सिर झुका लिया जब कि कान्स्टेबल डे बड़ी सूझबूझ तथा साहस दिखाकर कूद गये तथा कार के स्टियरिंग व्हील को मजबूती से कस कर पकड़ लिया । बदमाशों ने

बचकर भागने के प्रयास में कार की गति तेज कर दी परन्तु कांस्टेबल डे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्टियरिंग व्हील पकड़े रहे हालांकि उन का शरीर चलती हुई कार के बाहर लटक रहा था। अपराधियों ने कांस्टेबल पर गोली चलाने की कोशिश की परन्तु रिवाल्वर से फिर गोली नहीं चली। उसके बाद एक अपराधी ने भोजाली से कांस्टेबल डे के हाथ पर कई बार प्रहार किया। तेज हथियार से उनका हाथ कटने के परिणाम स्वरूप कांस्टेबल डे से स्टियरिंग व्हील छूट गया तथा चलती हुई कार से उन्हें नीचे फेंक दिया। तब श्री बारमन थानाध्यक्ष ने अपनी जीप से उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। कांस्टेबल डे ने उन्हें उसकी चिन्ता छोड़ कर पीछा करते रहने के लिए कहा। यद्यपि पसली टूटने तथा हथेली बुरी तरह से कटने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गये थे फिर भी उन्होंने स्वयं एक टैक्सी रोकी और पीछा करने लगे। चलती कार से गिरने के कारण उन्हें कई अन्य चोटें भी आई थीं। फिर भी दोनों पुलिस कर्मचारियों ने भागती हुई कार का पीछा किया तथा आलोच्य सिनेमा के पास रुक गये जहां भीड़ ने उनको भागते हुए अपराधियों का मार्ग दिखाया। श्री बारमन तथा श्री डे, दोनों ने एक तंग गली में अपराधियों का पीछा किया जहां अन्तत वे अपराधियों को वश में करने में सफल हुए।

इस मुठभेड़ में श्री प्रणीत कुमार डे ने अपने जीवन को महान संकट में डालकर अनुकरणीय साहस तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जुलाई, 1977 से दिया जाएगा।

सं० 26-प्रेज/79—राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बालेश्वर सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल नं० 405,
सेन्ट्रल ट्रेनिंग रिजर्व फोर्स; यूनिट,
धर्मशाला,
हिमाचल प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26 अप्रैल, 1977 को जब श्री बालेश्वर सिंह अखाड़ा बाजार, कुल्लू में यातायात ड्यूटी पर थे तो उन्होंने एक गोरखा को छुरा लिये हुये भागते और लोगों द्वारा उसका पीछा करते हुये देखा। वह गोरखा छुरे से पहले ही दो व्यक्तियों को जख्मी कर चुका था और बाजार में लोगों को चेतावनी दे रहा था कि उसके पास कोई न आए अन्यथा वह उनको मार डालेगा। गोरखा बस स्टैंड की तरफ भाग रहा था। गोरखे को देखकर श्री बालेश्वर सिंह उसके छुरे की परवाह न करते हुए तुरन्त उसकी तरफ गये और उसको पकड़ने और निशस्त्र करने के लिये उससे भिड़ गये। गोरखा ने श्री बालेश्वर सिंह की छाती में छुरा भोंक दिया। किन्तु चोट की परवाह न करते हुये उन्होंने गोरखे को तब तक भागने नहीं दिया जब तक लोगों ने उसको अपने वश में न कर लिया। श्री बालेश्वर सिंह बेहोश हो कर गिर पड़े और शीघ्र ही उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया किन्तु जख्मी होने के कारण अस्पताल ले जाते हुये रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में श्री बालेश्वर सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया और इस कार्रवाई में अपना जीवन बलिदान कर दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अप्रैल, 1977 से दिया जाएगा।

सं० 27-प्रेज/79—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मोहम्मद सईदुल्लाह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
मुरैना,
मध्य प्रदेश।

श्री त्रिलोक सिंह,
हैड कांस्टेबल नं० 46,
5वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र बल,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किये गये।

7 जनवरी, 1978 को श्री मोहम्मद सईदुल्लाह उप-पुलिस अधीक्षक जो शिवपुर में एस० डी० ओ० (पुलिस) के पद पर नियुक्त थे को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में डकैतियां डालने के विचार से कंजरों का एक सशस्त्र गिरोह घूम रहा है। वे शीघ्र ही एक पुलिस दल आसपास के क्षेत्रों में खोज करने के लिए ले गए। गिरोह पुलिस पार्टी से बच निकला तथा 7 जनवरी, 1978 को थाना आवदा के अन्तर्गत गांव तलवाड़ा में डाका डाल कर एक हत्या कर दी। श्री सईदुल्लाह ने चुनौती को स्वीकार किया तथा गिरोह का लगातार लगभग 48 घण्टे तक पीछा किया। 9 जनवरी, 1978 की शाम उन्होंने मासवानी गांव के निकट के जंगल की खोज कराई जहां कंजरों के होने का अंदेशा था। एक पुलिस दल जिसमें एक हैड कांस्टेबल तथा 4 कांस्टेबल थे, हैड कांस्टेबल त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में गांव बुढ़ी में गिरोह को रोकने के लिए भेजा गया। गिरोह ने उस गांव में डाका डाला लेकिन उसके साथ पुलिस की भिड़न्त हुई। गिरोह ने अंधाधुंध गोली चलाई तथा कांस्टेबल रामहेत को घायल कर दिया। हैड कांस्टेबल त्रिलोक सिंह जो गांव के दूसरे छोर पर थे, गोलियों की आवाज सुनकर, तुरन्त मौके पर आये तथा डाकुओं पर जो पुलिस से संख्या में कहीं अधिक थे, गोली चलाने का निर्देश दिया। उनका नेता घायल हो गया लेकिन अंधेरे का लाभ उठाते हुए डाकू अपने घायल नेता समेत बच निकले यह सूचना मिलने पर कि कंजरों का गिरोह अपने घायल नेता सहित भाग निकला, श्री सईदुल्लाह स्वयं मौके पर पहुंचे तथा 10 जनवरी, 1978 को सुबह-सुबह कंजरों के गिरोह को ललकारा। परिणामस्वरूप फिर मुठभेड़ हुई तथा सही गोलीबारी के कारण कंजर मुकाबला नहीं कर सके, वे अपने घायल नेता भैयालाल कंजर को छोड़ कर भाग गये।

पुलिस दल के छोटे होने तथा सशस्त्र गिरोह के उद्दण्ड एवं खूंख्वार-वृत्ति के बावजूद, इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद सईदुल्लाह तथा श्री त्रिलोक सिंह ने उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता एवं अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 1978 से दिया जाएगा।

क्षेम राज गुप्ता, राष्ट्रपति के उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अप्रैल 1979

सं० 13019/3/79-जी पी (डैस्क-I)—राष्ट्रपति दादरा और र हवेली से सम्बन्धित गृह मंत्री की सलाहकार समिति, जो गृह मंत्रालय तारीख 24 अगस्त, 1978 की अधिसूचना सं० 13019/2/78-जी (डैस्क-II) द्वारा बनाई गई थी, की अवधि 30 जून, 1979, तक ं बढ़ाते हैं।

उमा पिल्लै, उप सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 1979

संकल्प

सं० ई०-11015/4/79-हिन्दी(.)—इस मंत्रालय की हिन्दी सलाह-र समिति के पुनर्गठन के बारे में इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात गग) के दिनांक 21 फरवरी, 1978 के संकल्प संख्या ई०-11015/77-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए समिति की सदस्यता में निम्न-खेत परिवर्धन/परिवर्तन किये गये हैं:—

(1) डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री लाडली मोहन निगम, सदस्य, राज्य सभा को सदस्य नियुक्त किया जाता है;

(2) श्री ओम मेहता, सदस्य, राज्य सभा को, जो संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य हैं, अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया जाता है;

(3) श्री सुरेन्द्र झा सुमन, सदस्य, लोक सभा को, जो संसदीय राज भाषा समिति के सदस्य हैं, अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक । सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय रत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और इस्पात विभाग वेतन तथा लेखा कार्यालय को भेजी जायें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प जनसाधारण की जानकारी लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

द० दा० बोरवणकर, संयुक्त सचिव,

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 1979

संकल्प

सं० एफ० 14025/1/77-अर्थ नीति—कृषि मूल्य आयोग को सलाह के लिये दिनांक 6 फरवरी, 1978 के संकल्प सं० 14025/1/77-ई नीति द्वारा पुनर्गठित कृषक पैनल में स्वर्गीय श्री डी० एस० पाटिल, सदस्य राज्य सभा के स्थान पर प्रो० एन० जी० रंगा, सदस्य, राज्य सभा को नामजद करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/और विभागों, राज्य सरकारों, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग के सभी संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

एम० एस० स्वामीनाथन, सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1979

संकल्प

सं० क्यू०11014/1/79-पी० एच० ई०—नगर निगमों, राज्य सरकारों के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों आदि में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सेवारत प्रशिक्षण देने सम्बन्धी मौजूदा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। मौजूदा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1) सलाहकार (पी० एच० ई० ई०)　　अध्यक्ष
निर्माण और आवास मंत्रालय
नई दिल्ली।

(2) डा० बी० बी० सुन्दरसन　　सदस्य
निदेशक
राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी
अनुसन्धान संस्थान, नागपुर

(3) डा० आर० पितचाई,　　सदस्य
आचार्य, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी,
गिरारिगनार आगा प्रौद्योगिकी,
विश्वविद्यालय, मद्रास

(4) श्री नरम कृष्ण राव,　　सदस्य
मुख्य इंजीनियर (लोक स्वास्थ्य)
आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

(5) श्री बी० पी० आनन्द,　　सदस्य
सहायक वित्तीय सलाहकार,
निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(6) डा० एम० एम० बैसौल,　　सदस्य
अध्यक्ष, अप्लाइड मकेनिकस विभाग,
विश्वेश्वरैय्या रजिनल कालेज आफ इंजीनियरी,
नागपुर।

(7) श्री एस० सुब्बा राव, सदस्य
प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी,
अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य,
संस्थान, कलकत्ता ।

(8) श्री बी० ए० अनन्दडोस, सदस्य
उप-सलाहकार (पी० एच० ई०)
निर्माण और आवास मंत्रालय
नई दिल्ली । सदस्य सचिव

3. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे:—

(i) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में मौजूदा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के प्रतिस्थापन की संभाव्यता पर विचार;

(ii) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिये संस्थानों, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की प्रणाली और प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त निवेश पर विचार;

(iii) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिये संस्थानों की संख्या बढ़ाने की संभाव्यता पर विचार; और

(iv) किसी अन्य मद पर विचार जो समिति द्वारा उचित और महत्वपूर्ण समझी जाये।

4. समिति अपनी प्रथम बैठक बुलाने के 3 महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों) और सभी नगर निगमों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

मीर नसरुल्लाह, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1979

No. 23-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

(*Deceased*)

Unarmed Police Constable,
Nanded District,
Maharashtra.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the 19th July, 1977, Constable Narayan Kondiba Jondhale was deputed from Ardhapur to Nanded to search for a wanted desperate criminal. Constable Jondhale reached Nanded in search of the wanted criminal and spotted him in a way-side hotel in Itwara area of the town. The criminal tried to run away by brandishing a knife. Undeterred by this act of the criminal, and without caring for his personal safety, Constable Jondhale chased the criminal and caught hold of him. When he was trying to overpower the criminal, he was twice stabbed in the stomach. The criminal made good his escape leaving the Constable bleeding profusely. Despite serious injuries, Constable Jondhale rushed to the nearest police station to report the incident and the escape of the criminal. He succumbed to his injuries on the way to hospital.

Constable Narayan Kondiba Jondhale displayed great devotion to duty and courage of a high order and laid his life in this encounter with the criminal.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th July, 1977.

No. 24-Pres./79.—Hhe President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Rakesh Pratap Singh, (*Deceased*)
Sub-Inspector of Police,
District Lucknow,
Uttar Pradesh.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the evening of 14th June, 1977, reliable information was received at police station Mall, District Lucknow that some dacoits were planning to commit a dacoity in village Karaura on the same night. When the information was received, most of the police staff had been called to the district headquarters for election duties. Nevertheless, Sub-Inspector Nagendra Singh, Station Officer, collected whatever force was available and rushed to the village. The police party also included Sub-Inspector Rakesh Pratap Singh. On reaching village Karaura, the police party surrounded the house of Bhullan Yadav where the dacoits were suspected to be present, and challenged them to surrender. The dacoits opened fire on the police party and an encounter ensued. Consequently three dacoits were killed and the rest made a desparate bid to escape. Shri Rakesh Pratap Singh showed conspicuous courage and leapt forward to intercept the fleeing dacoits. Although one of the fleeing dacoits had been shot he managed to shoot at Shri Rakesh Pratap Singh before he fell. Shri Rakesh Pratap Singh received a bullet in his heart and died on the spot. Four of the dacoits were arrested while two managed to escape.

In this encounter Shri Rakesh Pratap Singh, showed exemplary courage, bravery and devotion to duty of the highest order and laid down his life in an effort to capture the fleeing dacoits.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th June, 1977.

No. 25-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Calcutta Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ajit Kumar Dey,
Constable No. 13580,
Beliaghata Police Station,
Calcutta.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the 28th July, 1977, at about 11.45 PM, when Constable Ajit Kumar Dey and Sub-Inspector Barman, Officer Incharge Beliaghata Police Station, were on patrol duty, they stopped a white ambassador car carrying 5 persons near the Canal Bridge on Beliaghata main road, Calcutta. Both the police officials got out of their jeep and flashed their torches at the occupants of the car when suddenly Shri Barman heard the click sound of a misfire of a revolver pointed at him. He ducked in an effort to save himself while Constable Dey showing great presence of mind and courage, jumped and caught hold of the steering wheel of the car in a firm grip. The miscreants in an effort to get away speeded up the car

but Constable Dey disregarding his personal safety held on to the steering wheel although his body was hanging outside the running car. The criminals also tried to fire at the Constable but the revolver misfired again. Thereafter, a criminal stabbed several times the hand of Constable Dey with a Bhojali. As a result of the chopping of his hand by a sharp weapon, Constable Dey lost his grip on the steering wheel and was thrown out of the running car. Shri Barman, SHO then started chasing the vehicle in his jeep and Constable Dey told him not to bother about him and to proceed with the chase. He later himself flagged a taxi and also joined the chase although he was seriously injured having fractured his ribs and cut his palm very badly. He had, also, received several other bruises because of his fall from the running car Nevertheless, both the police officials chased the fleeing car and stopped near Alochaya Cinema where a crowd directed them to the fleeing criminals. Both Shri Barman and Shri Dey chased the criminals into a narrow lane where ultimately they managed to overpower the criminals.

In this encounter, Shri Ajit Kumar showed exemplary courage and devotion to duty at grave risk to his own life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th July, 1977.

No. 26-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Himachal Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

(Deceased)

Shri Baleshwar Singh,
Central Striking Reserve Force : Unit,
Dharmasala,
Himachal Pradesh.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On 26th April, 1977, when Shri Baleshwar Singh was on traffic duty in Akhara Bazar, Kulu, he saw a Gorkha with a dagger running away and being chased by members of the public. The Gorkha had already injured two persons with his dagger and was warning people in the Bazar not to come near him otherwise he would kill them The Gorkha was running towards the Bus Stand. On seeing the Gorkha, Shri Baleshwar Singh without caring for his dagger rushed towards the Gorkha and grappled with him in order to apprehend and dis-arm him. The Gorkha stabbed Shri Baleshwar Singh in the chest But in disregard of the injury he did not let the Gorkha run away till he was over-powered by the members of the public. Shri Baleshwar Singh fell unconscious and was rushed to the Civil Hospital but he succumbed to his injury on the way to the hospital.

In this encounter Shri Baleshwar Singh exhibited conspicuous bravery and in the process sacrificed his own life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th April, 1977.

No. 27-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and Rank of the Officers

Shri Mohammad Saidullah,
Deputy Superintendent of Police,
Morena,
Madhya Pradesh.

Shri Trilok Singh,
Head Constable No. 46,
5th Battalion,
Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

On the 7th January, 1978, Shri Mohammad Saidullah, Deputy Superintendent of Police, while posted as SDO (Police) Sheopur, received information that an armed gang of kanjars was moving in his area with a view to commit dacoities. He immediately led a police party to search the surrounding areas. The gang managed to pierce the police party and committed a dacoity with murder on 7th January, 1978 in village Talawra under P. S. Awda. Shri Saidullah took up the challenge and continued to chase the gang for almost 48 hours. On the evening of 9th January, 1978, he got the jungle near village Masawni searched anticipating that the kanjars were still in the vicinity. A police party consisting of one Head Constable and 4 Cosntables was deputed under the charge of Head Constable Trilok Singh, to intercept the gang at village Burdha. The gang committed a dacoity in that village but was engaged in an encounter by the police. The gang fired indiscriminately, injuring Constable Ramhet. Head Constable Trilok Singh, who happened to be on the other end of the village, on hearing the shots, rushed to the spot and directed fire at the dacoits who greatly outnumbered the police party. Their leader was injured but taking advantage of the darkness, the dacoits managed to escape with their injured leader. On receiving the information of the escape of the gang of kanjars with their injured leader, Shri Saidullah himself reached the spot and challenged them early in the morning on 10th January, 1978. An encounter again ensued and due to the well directed firing which the kanjars could not withstand, they fled leaving their injured leader Bhaiyalal Kanjar.

In this encounter Shri Mohammad Saidullah and Shri Trilok Singh exhibited great devotion to duty and exemplary courage despite the fact that the police party was very small and the armed gang was desperate and was in a murderous mood.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th January, 1978.

K. R. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 18th April 1979

No. 13019/3/79-GP(DESK-I).—The President is pleased to extend the term of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli constituted *vide* the Ministry of Home Affair's Notification No. 13019/2/78 GP (Desk-I), dated the 24th August, 1978, for a period up to 30th June, 1979.

UMA PILLAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 18th April 1979

RESOLUTION

No. E. 11015/4/79-HINDI(.).—In partial modification of Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)'s Resolution No. E. 11015(5)/77-HINDI dated the 21st February, 1978 regarding reconstitution of Hindi Salahkar Samiti for this Ministry, the following additions/changes are made in the membership of the Samiti :—

(i) Shri Ladli Mohan Nigam, Member, Rajya Sabha is

appointed as a member in the vacancy caused by the death of Dr. Chandra Mani Lal Chaudhuri;

(ii) Shri Om Mehta, Member, Rajya Sabha, and a member of the Committee of Parliament on Official Language is appointed as an additional member;

(iii) Shri Surendra Jha Suman, Member, Lok Sabha, and a member of the Committee of Parliament on Official Language is appointed as an additional member.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all members of the Samiti and Ministries/Departments of the Government of India, Office of the Prime Minister; Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Sectt. Planning Commission, President's Secretariat, Controller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office of the Department of Steel.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. D. BORWANKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 16th April 1979

RESOLUTION

No. F. 14025/1/77-Econ. Py.—In the Panel of Farmers to advise the Agricultural Prices Commission, reconstituted *vide* Resolution No. 14025/1/77-Econ.Py. dated 6th February, 1978, it has been decided to nominate Prof. N. G. Ranga, Member, Rajya Sabha, *vice* late Shri D. S. Patil, Member Rajya Sabha.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territories Administrations, Planning Commission, Prime Minister's Office, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, and all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN, Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 19th April 1979

RESOLUTION

No. Q. 11014/1/79-PHE.—The question of evaluation of the existing Public Health Engineering Training Programmes designed to provide in-service training to the personnel employed in Municipal Corporations, Public Health Engineering Departments of the State Governments etc., has been under the consideration of the Government of India. It has been decided to constitute an Expert Committee to evaluate the existing Public Health Engineering Training Programmes.

2. The Committee shall consist of the following members :

(1) The Adviser (PHEE)
Ministry of Works & Housing,
New Delhi — Chairman

(2) Dr. B. B. Sundaresan
Director,
National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur — Member

(3) Dr. R. Pitchai,
Professor of Public Health Engineering
Perarignar Anna University of Technology, Madras — Member

(4) Shri Naram Krishna Rao,
Chief Engineer (Public Health),
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad — Member

(5) Shri V. P. Anand,
Assistant Financial Adviser,
Ministry of Works and Housing,
New Delhi — Member

(6) Dr. M. M. Basole,
Head of the Department of Applied Mechanics,
Visvesvaraya Regional College of Engineering, Nagpur — Member

(7) Shri S. Subba Rao,
Professor of Public Health Engineering, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta — Member

(8) Shri V. A. Anandadoss,
Deputy Adviser (PHE)
Ministry of Works & Housing,
New Delhi — Member-Secretary

3. The terms of reference of the Committee shall be as under :

(i) to evaluate the existing training course in Public Health Engineering and to consider the possibility of substituting short-term courses for post-graduate courses;

(ii) to consider the pattern of financial assistance to the institutions/State Governments for conducting training courses in Public Health Engineering and the input received by trainees.

(iii) to consider the feasibility of increasing the number of institutions for conduct of Public Health Engineering training programme; and

(iv) to consider any other matter considered to be relevant and important by the Committee.

4. The Committee shall endeavour to submit its report within three months of the holding of its first meeting.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories (Public Health Engineering Departments) and all Municipal Corporations.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MIR NASURALLAH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979